यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, **खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड डुंडा, उत्तरकाशी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड डुंडा, उत्तरकाशी** के माह 06/2015 से 05/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री प्रहलाद सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री रविन्द्र कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा श्री एस.के. जौहरी लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 21.06.2018 से 25.06.2018 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई में आहरण एवं वितरण अधिकारी का पद अस्तित्व में आने के पश्चात् पृथक रूप से की जाने वाली यह प्रथम लेखापरीक्षा है ।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2015 से 05/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. (अ) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** कार्यालय, खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड डुंडा, उत्तरकाशी द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के अंतर्गत विकास खण्ड डुंडा में स्थापित विद्यालयों में शिक्षण एवं प्रबंधन कार्यो का निरीक्षण ।

(ब) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ में)

वर्ष	आवंटन		व्यय		बचत / अभ्यर्पण	
	स्थापना में	गैर स्थापना	स्थापना में	गैर स्थापना	स्थापना में	गैर स्थापना
2015-16	9271111	69071	9271111	69071	00	शून्य
2016-17	6470289	47190	6470289	47190	00	शून्य
2017-18	8639816	90932	8639816	90932	00	शून्य
2018-19 upto may 2018	750390	00	750390	00	--	--

ब - (केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत इकाई को प्राप्त धनराशि -शून्य

(ii) इकाई को बजट आवंटन (निदेशक शिक्षा) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई,“ सी ”श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. महानिदेशक, शिक्षा
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
3. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी
5. खण्ड शिक्षा अधिकारी

(iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय, **खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड डुंडा, उत्तरकाशी** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड डुंडा, उत्तरकाशी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-II 'ब'</u>

प्रस्तरः- 1 रोकड़ बही में ₹ 33.31 लाख की प्रविष्टियाँ न किया जाना तथा माह फरवरी 2016 की रोकड़ बही का रख-रखाव न किया जाना।

प्रमुख सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 3 /XXVii (6) / 2013 वित्त अनुभाग-6, दिनांक 02 जनवरी 2013 में उपवंधित बिंदु संख्या 49 के अनुसार **"आहरण एवं संवितरण अधिकारी इंटरनेट की सहायता से ekosh.uk.gov.in पर अपने Login ID से अपने देयकों की धनराशि संबंधितों के बैंक खातों में अंतरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बंधित अभिलेखों- यथा 11 सी पंजिका, कैश बुक, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेंगे"** । इसके अतिरिक्त वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 के नियम 27-A के अनुसार रोकड़ बही का रख-रखाव किया जाना आवश्यक है ।

कार्यालय, खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड डुंडा, उत्तरकाशी के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित माह 02/2016 तथा 01/2018 में इकाई द्वारा वेतन भत्ते मद में भुगतान की गई धनराशि ₹ 33,30,727 की प्रविष्टियाँ रोकड़ बही में नहीं की गई थी जो वित्तीय नियमानुसार अनुचित था तथा रोकड़ बही में ₹ 33,30,727 की प्रविष्टियाँ नहीं किया जाना उपरोक्त शासनादेश की अवहेलना थी । इसी प्रकार इकाई द्वारा माह फरवरी 2016 की रोकड़ बही का रख-रखाव भी नहीं किया जा रहा था जो वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 के नियम 27-A का स्पष्ट उल्लंघन था।

इस सम्बन्ध में संप्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में कहा गया कि वेतन का भुगतान आन लाईन किये जाने के कारण रोकड़ बही में प्रविष्टियाँ नहीं की गई। भविष्य में लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में प्रविष्टियाँ की जायेंगी तथा रोकड़ बही का रख-रखाव नहीं किये जाने के सम्बन्ध में विभाग मौन था। विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा आपत्ति की स्वतः ही पुष्टि करता है। अतः रोकड़ बही में ₹ **33.31 लाख** की प्रविष्टियाँ नहीं किये जाने तथा माह फरवरी 2016 की रोकड़ बही न बनाये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	अवधि	प्रस्तर संख्या
इकाई में आहरण एवं वितरण अधिकारी का पद अस्तित्व में आने के पश्चात् पृथक रूप से की जाने वाली यह प्रथम लेखापरीक्षा है ।		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई में आहरण एवं वितरण अधिकारी का पद अस्तित्व में आने के पश्चात् पृथक रूप से की जाने वाली यह प्रथम लेखापरीक्षा है ।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----शून्य--

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय, **खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड डुंडा, उत्तरकाशी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- माह 02/2016 की रोकड़ बही।

2. सतत् अनियमितताएः-- शून्य--

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्र0सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री एम. एल. प्रसाद	खण्ड शिक्षा अधिकारी	01.06.2015 से 20.10.2015 तक
2.	श्री अनिल कुमार	खण्ड शिक्षा अधिकारी	21.10.2015 से 09.05.2016 तक
3.	श्री विक्रम चंद जोशी	खण्ड शिक्षा अधिकारी	10.05.2016 से अव तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय**, खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड डुंडा, उत्तरकाशी** को इस आशय से प्रेषित की जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार,सामाजिक क्षेत्र कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून को प्रेषित कर दी जाएगी ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.